

नवभारत

नासिक में नकली खाद की तस्करी का भंडाफोड, 2 गोडाउन पर छापा, 25 लाख के उर्वरक जब्त



नासिक: नासिक जिले में निजामपुर पुलिस ने नकली रासायनिक उर्वरकों की तस्करी को रोकते हुए एक वाहन और 75 हजार रुपए मूल्य के नकली उर्वरक जब्त किए। मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी के साथ-साथ वर्धनि में एक गोदाम पर छापा मारा, जहां से 24 लाख 98 हजार 15 रुपए मूल्य के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक संदिग्ध परिस्थितियों में मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। साक्री तहसील के जैताणे में ग्रामीण अस्पताल के सामने लामकानी रोड पर एक बोलैरो पिकअप वाहन (एमएच 15 सीके 2705) में नकली रासायनिक उर्वरकों की बोरियां भरी हुई थीं। इस वाहन के चालक के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि वह नकली उर्वरकों को गांव-गांव में बेचने जा रहा है।

निजामपुर पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर मयूर भामरे ने अपनी टीम के साथ जांच की और वाहन को जब्त कर लिया। वाहन में नकली उर्वरकों की बोरियां मिलीं, जिसके बाद उन्होंने जिला अधीक्षक और कृषि अधिकारी कैलास शिरसाठ को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद कृषि विभाग की टीम निजामपुर पुलिस स्टेशन आई और नकली उर्वरकों की जांच की। उन्होंने उर्वरक की जांच और पूछताछ की।

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि वाहन में 75,600 रुपए मूल्य के उर्वरकों का स्टॉक था। ये उर्वरक बिना किसी उत्पादक के नाम के थे, जबकि कानूनन उत्पादक का नाम बैग पर अंकित करना अनिवार्य है। बैग पर उत्पादक का नाम नहीं होने से यह स्पष्ट होता है कि ये उर्वरक नकली थे। इस मामले में जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (2) (3), 7, 8, 9, 10 और भारतीय दंड संहिता की धारा 318, 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Source: <https://navbharatlive.com/maharashtra/nashik/fake-fertilizer-smuggling-busted-in-nashik-970293.html>